न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 02/2022

1. धर्मपाल पुत्र हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी मोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा

– असल रेस्पो.

2. नरेन्द्र पुत्र हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी मोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थित:– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक:–22.07.2024

अपीलांट धर्मपाल पुत्र हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी मोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा द्वारा विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.10.2011 प्रकरण संख्या 21/2021 जिसकी रूह से वसीयत पत्रावली निरस्त की गई, को अपास्त किये जाने एवं मुताबिक वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 21/2021 दिनांक 01.10.2021 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी ढंग से निर्णय पारित [illegible] है, जो अपास्तनीय है। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 01.10.2021 [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested

2. रोही मौजा भादरा के चक 3 ए.[illegible] [illegible] 13/34 [illegible] मुरब्बा न[illegible] 50, 51 में योग खाता की कुल 10 किता की 2.[illegible]0 हैक्टेयर बारानी म[illegible] रास्ता व खाला की संयुक्त खाते की भूमि में से 1/3 हिस्सा रणजीत पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चक 1 टी. सुलतान वाला तहसील पीलबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम दर्ज थी तथा उन्होने अपने जीवनकाल में अपने सगे भान्जा की सेवा से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रसन्न होकर खरीद शुदा कृषि भूमि थी, वसीयत धर्मपाल, नरेन्द्र, पि. हरद्वारीलाल जाति जाट साकिन गोड़ा खेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार के पक्ष में करवा दी तथा उपरोक्त वसीयत दिनांक 09.05.2018 को छानीबड़ी सब रजिस्ट्रार भादरा से पंजीबद्ध है। फोटो प्रति वसीयतनामा सलग्न अपील मीमो है ।

3. अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो. सं. 2 के मामा की दिनांक 10.12.2020 को मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी फौतदगी के बाद अपीलान्ट ने मुताबिक वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व भादरा के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया तथा वसीयत की पत्रावली मुर्तिब की जाकर वसीयत में वर्णित भूमि की पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई तथा गवाहों के बयान लिये गये तथा पत्रावली दिनांक 01.10.2021 को पेशी में ली जाकर वसीयत्त की पत्रावली का रेस्पो. सं. 1 द्वारा अवलोकन किया जाकर वसीयत पत्रावली निरस्त कर दी गई। रेस्पो. सं. 1 द्वारा पारित निर्णय कतई विधि विरूद्ध एक विधि की अवहेलना में पारित किया गया है ,जो कि अपास्तनीय है।

4. वसीयत में वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो. के मामा रणजीत द्वारा खरीद शुदा भूमि थी एवं उपरोक्त वसीयत माननीय सब रजिस्ट्रार छानी बड़ी तहसील भादरा द्वारा रजि. थी एवं वसीयत में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार विवाद या स्थगन आदेश नही था, जो कि पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से स्पष्ट था तथा वसीयत में वर्णित कृषि भूमि खरीदशुदा कृषि भूमि थी तथा उसके वाबजुद की रेस्पो. सं. 1 द्वारा वसीयत की पत्रावली निरस्त किया जाना कतई गैर कानूनी है एवं रेस्पो. सं. 1 द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

5. वसीयत दिनांक 09.06.2018 की पत्रावली रेस्पो. सं. 1 द्वारा राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1955 की शर्तो सं. 28 (6) के हवाला देते हुए कि अन्तरित को आवंटन का अधिकारी होने के कारण अन्तरण किया जा सकता है। राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा विक्रय नियम) रूल 1955 के नियम 13 (2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा इसी आधार पर वसीयत विधि के अनुसार भारत में स्थिति किसी भी चल [illegible] सम्पति की वसीयत किसी भी भारतीय नागरिक के पक्ष में [illegible] के आधार पर सम्पति का कोई आवंटन नही होना था। रेस्पो. सं. [illegible] तथ्यों को आधार मानकर वसीयत की पत्रावली निरस्त की गई है, जो अ[illegible]नीय है।

6. अपीलाधीन निर्णय का अपीलान्ट को ज्ञान नही था क्योंकि अपीलान्ट को कानूनी पेंचदगियों को कतई ज्ञान नही रहा है। अपीलान्ट निर्णय की कोई सूचना नहीं होने कारण अपीलान्ट को ज्ञान नही रहा तथा अपीलान्ट ने दिनांक 04.01.2022 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर रहा है तथा द्वितीय देरी में क्षमा करने का कारण रिटोरियस है तथा उस केस मियाद के बिन्दु पर खारीज योग्य नही है तथा फिर भी दफा 5 मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. अपील अपीलान्ट न्यायलय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं मुताबिक वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश रेस्पो. सं. 1 को फरमाये जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–02 को तर्क किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की शर्तो सं. 28 (6) के हवाला देते हुए कि अन्तरित को आवंटन का अधिकारी होने के कारण अन्तरण किया जा सकता है। राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा विक्रय नियम) रूल 1955 के नियम 13 (2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है। वसीयत विधि के अनुसार किसी भी चल व अचल सम्पति की वसीयत किसी भी भारतीय नागरिक के पक्ष में कि जा सकती है तथा वसीयत के आधार पर सम्पति का कोई आवंटन नही होना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों को आधार मानकर वसीयत की पत्रावली निरस्त की गई है, जो अपास्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.10.2021 को अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन [illegible] कि वसीयत में वर्णित भूमि वसीयतकर्ता रणजीत पुत्र देवीलाल जाति [illegible] चक 1 टी. सुलतानवाला तहसील पीलीबंगा की खरीदशुदा है। यह तथ्य अधी[illegible] न्यायालय तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा दिनांक 01.10.2021 [illegible] अंकित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:34 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर नोहर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "राजस्थान उपनिवेशन(सामान्य कॉलोनी) शर्त 1955 की शर्त संख्या 28(6) के अनुसार इस अधिनियम के नियमों के अनुसार अन्तरित को आंवटन का अधिकारी होनें पर ही अन्तरण किया जा सकता है एंव राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उपनिवेशन(भाखड़ा विक्रय नियम) रूल्स 1955 के नियम 13(2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति का आंवटन नहीं किया जा सकता है" के आधार पर अपीलांट का वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करनें का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करनें का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया न कि भूमि आंवटन बाबत।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39(5) के अनुसार– *"एक व्यक्ति अपनी सम्पति की वसीयत किसी व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है, जो उसकी इच्छाओं के अनुसार उस सम्पति को धारण करनें योग्य है। विल करनें के लिए धर्म कोई प्रतिबंध नहीं या बाधा नहीं है। एक "विल" (क) बच्चों ओर वारिसों (ख) अजन्में व्यक्ति (ग) धार्मिक या मूर्त संस्थानों के पक्ष में की जा सकती है।"* अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 में भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 को अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा वसीयत पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested